सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-234/2022 दिनांक- 24-जुलाई-2022

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना रौनापार

अपहरण व दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वादी थाना रौनापार जनपद आजमगढ की पोती उम्र करीब वर्ष को दिनांक 14 17.04. की रात्रि 2022अभियुक्त रामविजय पुत्र परसू यादव द्वारा बहलाफुसला कर कही भगा ले जाना जिसके सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु/131 अ0सं0022 धारा /363366 भादवि बनाम 1. रामविजय पुत्र परसु यादव साबिशेन 0 का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे धारा /376120बी भादवि व 3/ 4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई वअभियुक्त 1. रामू पुत्र लालमन सा0 रोशनगंज., विजय यादव पुत्र हरिलाल यादव.2,रामसरन यादव पुत्र बुध्दिराम.3 यादव निवासीगण आराजी नौबरार करखिया किता-1 निबिहवा कोटे का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे लाया गया।

उनि00 मय हमराह द्वारा आज दिनांक 24..0722 को मुअ0सं0 1310/22 धारा 363/366/376/बी120 भादवि व 3/ पाक्सो एक्ट 4थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त रामविजय पुत्र परसु यादव सारौनापार जनपद आजमगढ़ बिशेन का पुरा थाना 0 को समय 08.15 बजे चाँदपट्टी तिराहा मस्जिद गेट के सामने से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पजीकृत अभियोग-

1. मुअ0सं0 1310/22 धारा 363/366/376/बी120 भादवि व 3/ पाक्सो एक्ट 4थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

रामविजय पुत्र परसु यादव साबिशेन का पुरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ 0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ राजेन्द्र कुमार थाना 0नि0रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का रामनिवास यादव 0थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

थाना बरदह

मोटर पम्प की चोरी करने वाले अभियुक्त मोटर पम्प के साथ गिरफ्तार

दिनांक 23.07.22 को वादी श्री अरशद पुत्र इकबाल ग्राम पिलखुआ थाना बरदह आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना दिया गया कि दिनाँक 19.07.2022 को अज्ञात चोर द्वारा मेरे पोखरे पर लगा बोरिंग मोटर 2 हास पावर को खोलकर चुरा ले गए जिसके सम्बन्ध में थानास्थानीय पर मु0अ0स0 259/22 धारा 379/411 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 24.07.22 को उ0नि0 गोपाल जी मय हमराहियान के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/संदिग्ध वाहन की चेकिंग जिवली मोड़ पर कर रहे थे तभी जरिये मुखबिर सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी विद्युत मोटर बोरिंग मशीन को दो ब्यक्ति लेकर जिउली तिराहे पर कही बेचने हेतु जा रहे है इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मुखबिर के बताये गये स्थान जिउली तिराहे पर पहुँची कि दो ब्यक्ति एक सफेद प्लास्टिक की बोरी में मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी विद्युत मोटर बोरिंग मशीन लिये दिखायी दिये। मुखबिर खास इशारा कर हट बढ़ गया पुलिस टीम खड़े ब्यक्तियो के पास पहुँची कि पुलिस टीम को देखकर हड़बड़ा कर भागना चाहे कि 20 कदम की दूरी पर गोड़हरा रोड़ पर पकड़ लिये गए। पकड़े गये ब्यक्तियो का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम रोहित राजभर S/O श्रीनाथ राजभर R/O गौरा डिहवा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया दूसरे ने अपना नाम विशाल राजभर S/O धर्मेन्द्र राजभर R/0 चौकी पिलखुवा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष बताया। दोनो ब्यक्तियो से भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि साहब दिनांक 19.07.22 की रात्रि मे हम दोनो ने मिलकर बोरिंग विद्युत मशीन मोटर चोरी किये थे ग्राम पिलखुवा से उसी को लेकर एक प्लास्टिक की बोरी में रखकर बेचने हेतु जा रहे थे कि आप लोग पकड़ लिये। मुकदमा उपरोक्त में चोरी गयी मोटर विद्युत मशीन को अपने कब्जे में लेकर अभियुक्तों को मु0अ0सं0- 259/22 धारा 379/411 भादवि से अवगत कराकर गिरफ्तार किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0स0 - 259/22 धारा 379/411 भा0द0वि0

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- रोहित राजभर S/O श्रीनाथ राजभर R/O गौरा डिहवा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष

2- विशाल राजभर S/O धर्मेन्द्र राजभर R/0 चौकी पिलखुवा थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद विद्युत मशीन मोटर

पुलिस टीम-

उ0नि0 गोपाल जी थाना बरदह जनपद आजमगढ

सूरज सिंह, (रि0आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

धर्मेन्द्र सिंह (आरक्षी) थाना बरदह जनपद आजमगढ

थाना सिधारी

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 24.07.2022 को प्र0नि0 स्वतन्त्र कुमार सिंह मय हमराह का0 रोहित साहु व का0 मनीष कुमार, म0कान्स साधना त्रिपाठी, कान्स0 दीवानचन्द के द्वारा मु0अ0सं0- 219/22 धारा 376/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त केदार यादव पुत्र स्व0 पवारु यादव सा0 रामपुर माफी थाना सिधारी आजमगढ़ को जाफरपुर पावर हाउस के पास से समय 11.10 बजे गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0- 219/22 धारा 376/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

नाम पता अभियुक्त

केदार यादव पुत्र स्व0 पवारु यादव सा0 रामपुर माफी सा0 सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 70 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1.प्र0नि0 स्वतंन्त्र कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

2.कां0 रोहित कुमार साहू थाना सिधारी आजमगढ़

3.कां0 मनीष कुमार थाना सिधारी आजमगढ़

4.कां0 दीवानचन्द थाना सिधारी आजमगढ़

5.म0कां0 साधना त्रिपाठी थाना सिधारी

थाना- कप्तानगंज

एक अदद तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर व दो अदद मोटरसाईकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 24.07.2022 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह का0 नित्यानन्द सिंह, का0 पंकज यादव, का0 विवेक यादव के द्वारा हूसेपुर पुलिया से अभियुक्त सत्यम सिंह उर्फ शशि पुत्र अमरजीत सिंह उम्र 20 वर्ष ग्राम पिपरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतसू .303 बोर व दो अदद मोटरसाईकिल पल्सर नम्बर प्लेट बदली हुई के साथ समय -09.30 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान माननीय किया जा रहा है।

1. सत्यम सिंह उर्फ शशि पुत्र अमरजीत सिंह उम्र 20 वर्ष ग्राम पिपरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

एक अदद तमंचा .303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतसू .303 बोर व दो अदद मोटरसाईकिल UP50AB4516 T.V.S. व UP50CB3540 पल्सर नम्बर प्लेट बदला हुआ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-225/2022 धारा-41/411/420/467/468/471 भादवि
2. मु0अ0सं0- 226/2022 धारा-3/5/7/25 A.ACT

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

उ नि0 जितेन्द्र सिंह0

का नित्यानंद सिंह 0

कापंकज यादव 0

काविवेक यादव 0